रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022022-233635
CG-DL-E-21022022-233635

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 771]	नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 21, 2022/फाल्गुन 2, 1943
No. 771]	NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 21, 2022/PHALGUNA 2, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2022

का.आ. 800(अ).—केन्द्रीय सरकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोल इंडिया लिमिटेड अर्थात ईस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड, सेंक्टोरिया; सेंट्रल कोलफिल्डस लिमिटेड, रांची; भारत कोर्किंग कोल लिमिटेड, धनबाद; वेस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड, नागपुर; सॉउथ ईस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड, बिलासपुर; नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड, सिंगरौली और महानदी कोलफिल्डस लिमिटेड, संबलपुर। नामक विविध के तत्वाधान के अधीन कोयला कंपनियों को भारत सरकार ने भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित श्रम मंत्रालय अधिसूचना संख्या का.आ. 2063 तारीख 21 जून, 1988 की लागूकरणीयता से उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 3 में विनिर्दिष्ट कार्यों में ठेका श्रमिक के नियोजन के संबंध में निम्नलिखित शर्तों के अध्ययधीन तारीख 7 दिसम्बर, 2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है अर्थात-

(i) उपर्युक्त उल्लिखित कार्यों में लगे कर्मकारों के हित संरक्षित हों;

(ii) ऐसे कर्मकार को कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सिफारिशों के अनुसार और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर मजदूरी और अन्य प्रसुविधाएं दी जाएं;

(iii) केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड को यह सुनिश्चित करने और जांच करने के लिए प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा कि क्या विभिन्न कोयला कंपनी में ऐसे कर्मकारों को ऐसी मजदूरी और प्रसुविधाँए दी जाती हैं;

(iv) विभिन्न कोयला कंपनी विभिन्न कोयला कंपनी का प्रबंध यह सुनिश्चित करेगा कि जब कभी संविदा में कोई परिवर्तन होता है, तो विद्यमान ऐसे संविदा कर्मकार को, जो कार्यरत हैं, कर्तव्यों का अनुपालन में समाधानप्रद के अध्यधीन रहते हुए अंतर्गामी संविदाकार द्वारा नियोजन में अधिमान दिया जाएगा;

(v) उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 2063, तरीख 21 जून, 1988 की अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 3 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खनन संकर्म पर प्रासंगिक या आनुसंगिक नौकरी में कार्यरत कर्मकार कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अवधारित और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार मजदूरी प्राप्त करंगे;

(vi) संविदाकार, प्रधान नियोक्ता के अतिरिक्त उक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति की मजदूरी की, जो प्रत्येक छह मास में बढ़ती है और खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के उपबंधों के अनुसार अन्य फायदे का भी संदाय सुनिश्चित करेगा;

(vii) संविदा कर्मकार, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के उपबंधों के अधीन आएंगे; और

(viii) संविदा कर्मकारों को खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के उपबंधों के अनुसार मजदूरी सहित बोनस और छुट्टी दी जाएगी ।

[फा. सं. यू-23013/15/2014-L.W]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2022

S.O. 800(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Government hereby exempts various coal companies under the aiges of Coal India Ltd., namely, the Eastern Coalfields Ltd, Sanctoria; Central Coalfields Limited, Ranchi; Bharat Coking Coal Ltd, Dhanbad; Western Coalfields Ltd, Nagpur; South Eastern Coalfields Limited, Bilaspur; Northern Coalfields Limited, Singhaurali; and Mahanadi Coalfields Limited, Sambalpur, from the applicability of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 2063, dated the 21st June, 1988, published in the Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section (ii), in respect of employment of contract labour in the works specified against serial numbers 1 to 3 in the Schedule to the said notification, for a period of Five year with effect from the 7th December, 2021, subject to the following conditions, namely:-

(i) the interest of the workmen engaged in the above mentioned works be protected;

(ii) such workmen be paid wages and other benefits as per the recommendations of the High Powered Committee appointed by the Coal India Limited, Ministry of Coal, Government of India and the rates notified by the Coal India Limited from time to time;

(iii) the Central Advisory Contract Labour Board will have the right to inspect the establishment to ensure and check whether such wages and benefits are given to such workers in Various Coal Company;

(iv) the Management of Various Coal Company shall ensure that whenever there is a change of contract, existing contract workmen who are working may be given preference in employment by the incoming contractor, subject to satisfactory performance of duties;

(v) the workmen working in jobs ancillary or incidental to coal mining works specified against serial numbers 1 to 3 of the Schedule to the said notification number S.O. 2063 dated the 21st June, 1988, shall get wages as determined by the High Powered Committee appointed by the Coal India Limited, Ministry of Coal, Government of India and the rates notified by the Coal India Limited from time to time;

(vi) the contractor, as well as the Principal Employer, shall ensure payment of the said High Powered Committee wages, which increases every six months, and also other benefits as per the provisions of the Mines Act, 1952 (35 of 1952);

(vii) the contract workers shall be covered under the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972); and

(viii) the contract workers shall be paid bonus and leave with wages as per the provisions of the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

[F. No. U-23013/15/2014-L.W]

AJAY TEWARI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.02.21 15:26:51 +05'30'